भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1836

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

एसएसए की निगरानी

†**1836. श्रीमती चिंता अनुराधा:**

श्री संजय काका पाटीलः

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधार्रित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्राप्त सफलता हेतु सर्व शिक्षा अभियान की कोई निगरानी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत लक्ष्यों से प्राप्त उपलब्धि और विचारित मानकों से लाभान्वित लोगों की राज्य-वार विशेषकर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर किया गया व्यय और इससे लाभान्वित लड़कों और लड़कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : देशभर में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए, वर्ष 2000-2001 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन थी। अब, एसएसए को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की दो अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के साथ समग्र शिक्षा-नामक एक नई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 से देश में शुरू किया गया है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा XII तक है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और उचित गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एसएसए/समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना में एक अंतर्निर्मित समवर्ती संयुक्त मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रणाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक वर्ष एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) के जरिए शैक्षिक डाटा एकत्र किया जाता है। कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 13.11.2017 को एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया गया। इन मूल्यांकनों और मॉनीटरिंग की स्थिति सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा 2010-11 से लेकर 2015-16 तक की अवधि के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर एक अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था और तदनुसार दिनांक 21.07.2017 को संसद के पटल पर 2017 की रिपोर्ट संख्या 23 रखी गई। 2017-18 में एसएसए योजना का एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया गया। उसमें बताया गया है कि एसएसए ने स्कूलों में सर्वसुलभ पहुंच और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसने हाल ही के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता पर एसएसए के फोकस की सराहना की है।

(ख) और (ग) : एसएसए की 2001 में शुरूआत से 2017-18 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा संबंधी अनुमोदनों और वास्तविक अवसंरचना की प्रगति संलग्नक-I में दी गई है।

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन संबंधी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/समग्र शिक्षा के तहत रिलीज किया गया केंद्रीय भाग और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - III में दिया गया है।

वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रारंभिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन संबंधी ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - IV में दिया गया है।

******